न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 30/2022 (GCMS No. 2022/172)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
स्व. दीपाराम पुत्र बुधाराम के कायम मुकामः— 1/1— पूनाराम पुत्र स्व. दीपाराम 1/2 अमाना राम पुत्र स्व. दीपाराम जाति जाट, निवासीगण— डउकियों का बास, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर		1— सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी—ओसियां। 2— परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 188, उम्मेद हैरिटेज, जोधपुर 3— भारत सरकार जरिये उप सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।

आर्बीटेशन आवेदन/प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थितिः— दिनांकः 07.10.2025

1. श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी (प्रार्थीपक्ष अधिवक्ता)— उपस्थित
2. श्री एल.आर. पूनिया (अप्रार्थीपक्ष—02 के अधिवक्ता)— उपस्थित
3. अप्रार्थीपक्ष 01, 03 —अनुपस्थित

पंचाट

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश क्रमांक NHAI/LA/Arb./2015 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का संख्याक 48) की धारा 3G की उपधारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर जिलें की स्थानीय सीमा में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को माध्यस्थम (ARBITRATOR) नियुक्त किया गया है।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जोधपुर जिले में भारतमाला परियोजना (लौट—4 पैकेज 6) के अन्तर्गत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर—कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754—के किमी. 261.743 से किमी 349.743 (ओसियॉ) तक (चार लेन मय पेव्ड शोल्डर) के निर्माण के लिए निजी राजकीय भूमि अवाप्ति हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) के रूप में प्राधिकृत किया गया एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2952 रकबा 3.7312 हैक्टेयर यानी 23 बीघा 01 बिस्वा भूमि में से 0.3781 हैक्टर 2.06 बीघा भूमि ग्राम डऊकियों का बास पटवार हल्का चेराई तहसील तिंवरी जिला जोधपुर का एवार्ड क्रम संख्या 31 पर प्रार्थी की भूमि पर लगे पेड़ों का मुआवजा मात्र 3,83,243.73/— रूपये व सोलेशियम अमाउण्ट 100 प्रतिशत कुल 7,66,487.45/— रूपये का मुआवजा निर्धारण किया गया जबकि प्रार्थी की भूमि खसरा 2952 में 1.2626 हैक्टेयर में रोड निकाली गई है

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

जिसका रकबा 1.2626 – 0.3781 = 0.8845 हैक्टे. भूमि के पेड़ो के मुआवजों का निर्धारण नही किया गया इस कारण 0.8845 हैक्टेयर यानी 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि के पेड़ो के मुआवजे की राशि हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित मुआवजा निर्धारण करने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम डऊकिया के बास के खसरा नम्बर 2952 रकबा 3.7312 हैक्टेयर यानी 23.01 बीघा सिंचित भूमि में से प्रार्थी को मात्र 0.3781 हैक्टेयर यानी 2.06 बीघा के पेड़ो का मुआवजा अवार्ड 7,66,487.45/– रूपये का मुआवजा निर्धारण किया गया जबकि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2952 में से 1.2626 हैक्टेयर भूमि यानी 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण द्वारा भारतमाला योजना के तहत सड़क में अवाप्त हुई है। मौके पर खसरा नम्बर 2952 रकबा 3.7312 हैक्टेयर के स्थान पर 2.4685 हैक्टेयर भूमि ही शेष रही है। इस प्रकार इस खसरा नम्बर 2952 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा में रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा सड़क निर्माण कार्य किया जा चुका है एवं मौके पर खसरा नम्बर 2952 में रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा भूमि ही शेष रही है। प्रार्थी अप्रार्थीगण से रकबा 1.2626 हैक्टेयर भूमि रकबा 7.16 बीघा भूमि पर लगे पेड़ो के मुआवजे का निर्धारण हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी को मात्र 0.3781 हैक्टेयर यानी 2.06 बीघा भूमि के पेड़ो का मुआवजा राशि 7,66,487.45/– रूपये का निर्धारण किया गया है। शेष 0. 8845 हैक्टेयर यानी 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि का मुआवजा की राशि लगभग 15,00,000/– रूपये मय ब्याज 9 प्रतिशत की दर से भुगतान तिथि तक की राशि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी के खसरा नम्बर 2952 रकबा 3.7312 हैक्टेयर यानी 23 बीघा 01 बिस्वा भूमि अब मौके पर सड़क निकलने के पश्चात मात्र 2.4686 हैक्टेयर यानी 15 बीघा 05 बिस्वा भूमि ही प्रार्थी के हिस्से में व मौके पर व नक्शे में शेष रही है। अप्रार्थीगण किसी भी राजस्व अधिकारी, सेटलमेन्ट विभाग या तहसीलदार, तिंवरी या किसी उच्च अधिकारी से माप व सीमांकन करवा सकते हैं। प्रार्थी को मुआवजा मात्र 0.3781 हैक्टेयर यानी 2 बीघा 06 बिस्वा का ही निर्धारण किया है। प्रार्थी के खसरे में से 1.2626 हैक्टेयर यानी 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से सड़क निकल चुकी है। प्रार्थी का मात्र खसरा नम्बर 2952 में 0.3781 हैक्टेयर पर लगे हुए पेड़ो का मुआवजा निर्धारण किया गया है। शेष 0.8845 हैक्टेयर यानी 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि का मुआवजा निर्धारण नही किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के बार बार निवेदन के पश्चात भी प्रार्थी की सड़क में अवाप्त सम्पूर्ण भूमि के पेडो का मुआवजा का न तो निर्धारण किया गया न ही प्रार्थी को मुआवजा दिया गया। इस कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत अप्रार्थीगण दोषी है एवं प्रार्थी को भूमि अधिग्रहण दिनांक 31.1.2019 से अदायगी दिनांक तक मय ब्याज 9 प्रतिशत की दर से प्रार्थी को दिलाया जावे। प्रार्थना पत्र के अंत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2952 के मुआवजा निर्धारण में शेष रही भूमि 1.2626 हैक्टेयर भूमि यानी 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि में लगे पेड़ो का मुआवजों राशि लगभग 15,00,000/– रूपये का दिनांक 31.1.2019 से 9 प्रतिशत की दर से भुगतान तक की दिलाई जाने हेतु व रकबा 0.3781 हैक्टेयर यानी 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि के मुआवजा की निर्धारण राशि 7,66,487/– रूपये मय ब्याज 9 प्रतिशत की दर से दिनांक 31.1.2019 से मुआवजा भुगतान तिथि तक प्रार्थी को अप्रार्थीगण से उपरोक्त ताअदायगी मय ब्याज एवं क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का निवेदन किया गया।

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर 30/2022 (GCMS No. 2022/172) कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीपक्ष–01 व 02 के नोटिस बाद तामिल लौटे व अप्रार्थीपक्ष–03 का नोटिस तामिल जरिये रजिस्टर्ड डाक की डिलीवर्ड ट्रैकिंग रिपोर्ट प्राप्त हुई। अप्रार्थीपक्ष 02 की ओर से दिनांक 13.07.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दी जाकर सामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थीपक्ष 02 के अधिवक्ता की ओर से दिनांक 13.07.2022 को प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्य में प्रारम्भिक आपत्तियां इस प्रकार है प्रार्थी ने जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है वह अवाप्त भूमि से बाहर की भूमि के पेड़ो का मुआवजा निर्धारण करने के लिये प्रस्तुत किया गया है जो भूमि अवाप्ति मे नही है उसका मुआवजा नहीं दिलाया जा सकता है। इसलिये प्रार्थी का उपरोक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के योग्य नही है एवं खारिज किये जाने के

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

योग्य है। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र जो प्रस्तुत किया गया है वह पूर्णतया गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थी ने ख.न. 2952 में से कुल 1.2626 हैक्टेयर यानि 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि सडक निर्माण में आना बताकर अवाप्त भूमि से बाहर का रकबा 0.8845 हैक्टेयर के पेड़ो के लिये मुआवजा निर्धारण का गलत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका मुआवजा निर्धारण नही किया जा सकता है। अप्रार्थीपक्ष–02 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पदवार जवाब इस प्रकार है–प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में उल्लेखित तथ्य भारतमाला परियोजना (लौट–4/पैकेज–6) के अंतर्गत इकोनोमिक कोरिडोर अमृतसर– काण्डला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754 के. किलोमीटर 261.743 से किलोमीटर 349.743 (औसिया) तक (चार लेन मय पेण्ड शोल्डर) के निर्माण हेतु अवाप्तिधीन भूमि का मुआवजा निर्धारण हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 को प्राधिकृत किये जाने एवं प्रार्थी की कृषि भूमि ख.न. 2952 में से रकबा 3.7312 हैक्टेयर यानि 23 बीघा 1 बिस्वा मे से रकबा 0.3781 हैक्टेयर यानि 02 बीघा 06 बिस्वा भूमि ग्राम डउकियो का बास पटवार हल्का चैराई तहसील तिंवरी जिला जोधपुर का अवार्ड क्रमांक 31 पर प्रार्थी की भूमि पर लगे पडो का मुआवजा राशि 10476.95/– रूपये एवं उतनी ही सोलेशियम राशि जोड़कर कुल 20,953.89/– रूपये निर्धारित करने का तथ्य सही है तथा इस पद मे प्रार्थी के भूमि के रकबे 1.2626 हैक्टेयर मे से रोड़ निकालने का तथ्य पूर्णतया गलत कथन किया गया है तथा यह भी मुआवजा निर्धारण नही किया हैं जबकि उक्त रकबा अवाप्त भूमि से बाहर का है अवाप्ति में केवल मात्र 0.3781 हैक्टर भूमि ही ली गयी है जिसके पेड़ो का एवं भूमि का मुआवजा निर्धारित किया जा चुका है। प्रार्थी ने उपरोक्त प्रार्थनापत्र अवाप्त भूमि से बाहर की भूमि के पेड़ो के लिये मुआवजे की राशि की अनुचित मांग करते हुए वर्तमान दावा निराधार प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार संख्या 1 मे उल्लेखित तथ्य जिस प्रकार से वर्णित किये है वे पूर्णतया गलत है तथा प्रार्थी के ख.न. 2952 की कुल रकबा 3.7312 हैक्टर भूमि में से 1.2626 हैक्टर भूमि सड़क सीमा में आने का तथ्य सर्वथा मिथ्या कथन किया गया है जबकि प्रार्थी की उक्त खसरा मे से केवल 0.3781 हैक्टर भूमि ही अवाप्त की गयी है तथा इससे अधिक रकबा नही लिया गया है अवाप्त रकबे पर आये पेड़ो का मुआवजा निर्धारित कर प्रार्थी को अदा करने हेतु सक्षम न्यायालय ने जमा करवा दिया गया है। इसके बाद प्रार्थी ने वर्तमान प्रार्थनापत्र केवल ओर केवल अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु अवाप्त भूमि से बाहर के रकबे के पड़ो के मुआवजे के लिये निराधार प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने के योग्य है। अवाप्त भूमि पर आये पेड़ो की गणना सर्वेसूची के अनुसार करके मुआवजा राशि तय की गयी जिसकी अवार्ड की नकल संलग्न प्रस्तुत है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार संख्या 2 मे उल्लेखित तथ्य पूर्णतया गलत है तथा प्रार्थी के ख0न0 2952 मे से सड़क निकलने के बाद मात्र 2.4686 हेक्टेयर यानि 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि ही शेष रहने का तथ्य सर्वथा निराधार कथन किया गया है जबकि प्रार्थी के उक्त खसरा मे से मात्र 0.3781 हैक्टर भूमि ही सड़क सीमा में आती है तथा शेष रकबा प्रार्थी के पास है अवाप्त भूमि पर आये पेड़ो का मुआवजा निर्धारित किया जा चुका है प्रार्थी द्वारा उक्त खसरे में से 1.2626 हेक्टेयर भूमि अवाप्त करने का तथ्य सर्वथा मिथ्या कथन किया गया है जबकि उक्त ख.न. मे से मात्र 0.3781 हैक्टेयर रकबा अवाप्त किया गया है अवाप्त भूमि के नक्शे की नकल प्रस्तुत की है, इसप्रकार प्रार्थी ने वर्तमान प्रार्थनापत्र मात्र अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार संख्या 3 में उल्लेखित तथ्य पूर्णतया गलत है। जवाब प्रार्थना पत्र के अंत में प्रार्थी को किसी भी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने का हक अधिकारी नही होने से प्रार्थनापत्र मय भारी हर्जे खर्चे के निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थीपक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तवोज प्रस्तुत हुए:–

1–सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा भारतमाला परियोजना (लौट–4/पैकेज 6) के अंतर्गत इकोनोमिक कोरिडोर अमृतसर– कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754 के. किलोमीटर 261.743 से किलोमीटर 349.743 (औसियां) तक (चार लेन मय पेण्ड शोल्डर) के निर्माण के लिए भारत माला परियोजना के अन्तर्गत पेड़ों के मुआवजे का अवार्ड आदेश दिनांक 26.11.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

2–प्रार्थीगण से संबंधित भूमि के खसरान् की जमाबंदी की छायाप्रति।

3–तहसीलदार तिंवरी के पत्र क्रमांक राजस्व/2022/1383 दिनांक 04.11.2022 की प्रमाणित प्रति।

दिनांक 09.09.2025 को उपस्थित प्रार्थीपक्ष अधिवक्ता व अप्रार्थीपक्ष–02 के अधिवक्ता की बहस सुनी।

प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि जोधपुर जिले में भारतमाला परियोजना (लौट–4 पैकेज 6) के अन्तर्गत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754–के किमी. 261.743 से किमी 349.743 (ओसियॉ) तक (चार लेन मय पेव्ड शोल्डर) के निर्माण के लिए निजी राजकीय भूमि अवाप्ति हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) के रूप में प्राधिकृत किया गया एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2952 रकबा 3.7312 हैक्टेयर यानी 23 बीघा 01 बिस्वा भूमि में से 0.3781 हैक्टर 2.06 बीघा भूमि ग्राम डऊकियों का बास पटवार हल्का चेराई तहसील तिंवरी जिला जोधपुर का अवार्ड क्रम संख्या 31 पर प्रार्थी की भूमि पर लगे पेड़ों का मुआवजा मात्र 3,83,243.73/– रूपये व सोलेशियम अमाउण्ट 100 प्रतिशत कुल 7,66,487.45/– रूपये का मुआवजा निर्धारण किया गया जबकि प्रार्थी की भूमि खसरा 2952 में 1.2626 हैक्टेयर में रोड निकाली गई है जिसका रकबा 1.2626 – 0.3781 = 0.8845 हैक्टे. भूमि के पेड़ो के मुआवजों का निर्धारण नही किया गया इस कारण 0.8845 हैक्टेयर यानी 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि के पेड़ो के मुआवजे की राशि हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित मुआवजा निर्धारण करने हेतु प्रस्तुत किया गया। बहस में बतलाया गया कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम डऊकिया के बास के खसरा नम्बर 2952 रकबा 3.7312 हैक्टेयर यानी 23.01 बीघा सिचिंत भूमि में से प्रार्थी को मात्र 0.3781 हैक्टेयर यानी 2.06 बीघा के पेड़ो का मुआवजा अवार्ड 7,66,487.45/– रूपये का मुआवजा निर्धारण किया गया जबकि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2952 में से 1.2626 हैक्टेयर भूमि यानी 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण द्वारा भारतमाला योजना के तहत सड़क में अवाप्त हुई है। मौके पर खसरा नम्बर 2952 रकबा 3.7312 हैक्टेयर के स्थान पर 2.4685 हैक्टेयर भूमि ही शेष रही है, इस प्रकार इस खसरा नम्बर 2952 रकबा 23 बीघा 01 बिस्वा में रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा सड़क निर्माण कार्य किया जा चुका है एवं मौके पर खसरा नम्बर 2952 में रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा भूमि ही शेष रही है। प्रार्थी अप्रार्थीगण से रकबा 1.2626 हैक्टेयर भूमि रकबा 7.16 बीघा भूमि पर लगे पेड़ो के मुआवजे का निर्धारण हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी को मात्र 0.3781 हैक्टेयर यानी 2.06 बीघा भूमि के पेड़ो का मुआवजा राशि 7,66,487.45/– रूपये का निर्धारण किया गया है। शेष 0.8845 हैक्टेयर यानी 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि का मुआवजा की राशि लगभग 15,00,000/– रूपये मय ब्याज 9 प्रतिशत की दर से भुगतान तिथि तक की राशि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी के खसरा नम्बर 2952 रकबा 3.7312 हैक्टेयर यानी 23 बीघा 01 बिस्वा भूमि अब मौके पर सड़क निकलने के पश्चात मात्र 2.4686 हैक्टेयर यानी 15 बीघा 05 बिस्वा भूमि ही प्रार्थी के हिस्से में व मौके पर व नक्शे में शेष रही है। अप्रार्थीगण किसी भी राजस्व अधिकारी, सेटलमेन्ट विभाग या तहसीलदार, तिंवरी या किसी उच्च अधिकारी से माप व सीमांकन करवा सकते हैं। प्रार्थी को मुआवजा मात्र 0.3781 हैक्टेयर यानी 2 बीघा 06 बिस्वा का ही निर्धारण किया है। प्रार्थी के खसरे में से 1.2626 हैक्टेयर यानी 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से सड़क निकल चुकी है। प्रार्थी का मात्र खसरा नम्बर 2952 में 0.3781 हैक्टेयर पर लगे हुए पेड़ो का मुआवजा निर्धारण किया गया है। शेष 0.8845 हैक्टेयर यानी 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि का मुआवजा निर्धारण नही किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के बार बार निवेदन के पश्चात भी प्रार्थी की सड़क में अवाप्त सम्पूर्ण भूमि के पेडो का मुआवजा का न तो निर्धारण किया गया न ही प्रार्थी को मुआवजा दिया गया। बहस के अंत में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2952 के मुआवजा निर्धारण में शेष रही भूमि 1.2626 हैक्टेयर भूमि यानी 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि में लगे पेड़ो का मुआवजों राशि लगभग 15,00,000/– रूपये का दिनांक 31.1

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

2019 से 9 प्रतिशत की दर से भुगतान तक की दिलाई जाने हेतु व रकबा 0.3781 हैक्टेयर यानी 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि के मुआवजा की निर्धारण राशि 7,66,487/– रूपये मय ब्याज 9 प्रतिशत की दर से दिनांक 31.1.2019 से मुआवजा भुगतान तिथि तक मय ब्याज एवं क्षतिपूर्ति मुआवजा दिलाए जाने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थीपक्ष–02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि प्रार्थी ने जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है वह अवाप्त भूमि से बाहर की भूमि के पेड़ो का मुआवजा निर्धारण करने के लिये प्रस्तुत किया गया है जो भूमि अवाप्ति मे नही है उसका मुआवजा नहीं दिलाया जा सकता है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के योग्य नही है एवं खारिज किये जाने के योग्य है। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र जो प्रस्तुत किया गया है वह पूर्णतया गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थी ने ख.न. 2952 में से कुल 1.2626 हैक्टेयर यानि 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि सड़क निर्माण में आना बताकर अवाप्त भूमि से बाहर का रकबा 0.8845 हैक्टेयर के पेड़ो के लिये मुआवजा निर्धारण का गलत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका मुआवजा निर्धारण नही किया जा सकता है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में उल्लेखित तथ्य भारतमाला परियोजना (लौट–4/पैकेज–6) के अंतर्गत इकोनोमिक कोरिडोर अमृतसर–काण्डला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754 के. किलोमीटर 261.743 से किलोमीटर 349.743 (औसिया) तक (चार लेन मय पेण्ड शोल्डर) के निर्माण हेतु अवाप्तिधीन भूमि का मुआवजा निर्धारण हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 को प्राधिकृत किये जाने एवं प्रार्थी की कृषि भूमि ख.न. 2952 में से रकबा 3.7312 हैक्टेयर यानि 23 बीघा 1 बिस्वा मे से रकबा 0.3781 हैक्टेयर यानि 02 बीघा 06 बिस्वा भूमि ग्राम डउकियो का बास पटवार हल्का चैराई तहसील तिंवरी जिला जोधपुर का अवार्ड क्रमांक 31 पर प्रार्थी की भूमि पर लगे पडो का मुआवजा राशि 10476.95/– रूपये एवं उतनी ही सोलेशियम राशि जोड़कर कुल 20,953.89/– रूपये निर्धारित करने का तथ्य सही है तथा इस पद मे प्रार्थी के भूमि के रकबे 1.2626 हैक्टेयर मे से रोड़ निकालने का तथ्य पूर्णतया गलत कथन किया गया है तथा यह भी मुआवजा निर्धारण नही किया हैं जबकि उक्त रकबा अवाप्त भूमि से बाहर का है अवाप्ति में केवल मात्र 0.3781 हैक्टर भूमि ही ली गयी है जिसके पेड़ो का एवं भूमि का मुआवजा निर्धारित किया जा चुका है। प्रार्थी ने उपरोक्त प्रार्थनापत्र अवाप्त भूमि से बाहर की भूमि के पेड़ो के लिये मुआवजे की राशि की अनुचित मांग करते हुए वर्तमान दावा निराधार प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार संख्या 1 मे उल्लेखित तथ्य जिस प्रकार से वर्णित किये है वे पूर्णतया गलत है तथा प्रार्थी के ख.न. 2952 की कुल रकबा 3.7312 हैक्टर भूमि में से 1.2626 हैक्टर भूमि सड़क सीमा में आने का तथ्य सर्वथा मिथ्या कथन किया गया है जबकि प्रार्थी की उक्त खसरा मे से केवल 0.3781 हैक्टर भूमि ही अवाप्त की गयी है तथा इससे अधिक रकबा नही लिया गया है अवाप्त रकबे पर आये पेड़ो का मुआवजा निर्धारित कर प्रार्थी को अदा करने हेतु सक्षम न्यायालय ने जमा करवा दिया गया है। इसके बाद प्रार्थी ने वर्तमान प्रार्थनापत्र केवल ओर केवल अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु अवाप्त भूमि से बाहर के रकबे के पड़ो के मुआवजे के लिये निराधार प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने के योग्य है। अवाप्त भूमि पर आये पेड़ो की गणना सर्वेसूची के अनुसार करके मुआवजा राशि तय की गयी जिसकी अवार्ड की नकल संलग्न प्रस्तुत है। बहस में आगे बतलाया गया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार संख्या 2 मे उल्लेखित तथ्य पूर्णतया गलत है तथा प्रार्थी के ख.न. 2952 मे से सड़क निकलने के बाद मात्र 2.4686 हेक्टेयर यानि 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि ही शेष रहने का तथ्य सर्वथा निराधार कथन किया गया है जबकि प्रार्थी के उक्त खसरा मे से मात्र 0.3781 हैक्टर भूमि ही सड़क सीमा में आती है तथा शेष रकबा प्रार्थी के पास है अवाप्त भूमि पर आये पेड़ो का मुआवजा निर्धारित किया जा चुका है प्रार्थी द्वारा उक्त खसरे में से 1.2626 हेक्टेयर भूमि अवाप्त करने का तथ्य सर्वथा मिथ्या कथन किया गया है जबकि उक्त ख.न. मे से मात्र 0.3781 हैक्टेयर रकबा अवाप्त किया गया है अवाप्त भूमि के नक्शे की नकल प्रस्तुत की है, इसप्रकार प्रार्थी ने वर्तमान प्रार्थनापत्र मात्र अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया जो चलने योग्य नहीं है। बहस के अंत में अप्रार्थीपक्ष–02 अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थीपक्ष की ओर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2952 के मुआवजा निर्धारण में शेष रही भूमि 1.2626 हैक्टेयर भूमि यानी 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि में लगे पेड़ो का मुआवजों राशि लगभग 15,00,000/– रूपये का दिनांक 31.1.2019 से 9 प्रतिशत की दर से भुगतान तक की दिलाई जाने हेतु व रकबा 0.3781 हैक्टेयर यानी 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि के मुआवजा की निर्धारण राशि 7,66,487/– रूपये मय ब्याज 9 प्रतिशत की दर से दिनांक 31.1.2019 से मुआवजा भुगतान तिथि तक मय ब्याज एवं क्षतिपूर्ति मुआवजा दिलाए जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 21.09.2019 में प्रार्थीगण की 0.3781 हैक्टेयर भूमि ही अवाप्त की गई है तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा जारी पेड़ो का मुआवजा अवार्ड दिनांक 26.11.2019 में प्रार्थीगण से संबंधित खसरा संख्या 2952 को पेड़ो का मुआवजा दिया जा चुका है जबकि प्रार्थीगण द्वारा अवाप्ति हेतु दावा की जा रही भूमि का सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के द्वारा अवाप्त किये जाने का कोई प्रमाणित दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया चूंकि प्रार्थी द्वारा बताये गये तथ्यों को सावित करने के लिए साक्ष्य/वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व (Burden Of Proof) प्रार्थीपक्ष का होता है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। पंचाट की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(गौरव अग्रवाल)
आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

पंचाट आज दिनांक 07.10.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(गौरव अग्रवाल)
आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)